रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 2017/पौष 7, 1939
No. 496] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 2017/PAUSHA 7, 1939

पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2017

पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2017

सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10.—पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप–धारा (1) के साथ पठनीय उप–धारा (2) के खंड (व) तथा धारा 14 की उपधारा के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता हैं, नामतः–

1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2017 है।

2. ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 में:

(I) विनियम 8 के, उप–विनियम (i) तथा (ii) में:

(क) उप–विनियम (i) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगाः

सेवानिवृत्ति सलाहकार जो कि कोई निगमित निकाय या साझेदारी कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत न्यास या संस्था है, पंजीकरण होने पर, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत अपनी गतिविधियों को आरंभ करने से पूर्व, सुरक्षा राशि बैंक सावधि जमा रसीद या निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में प्राधिकरण को जमा कराएगी जो कि प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त अधिसूचना/परिपत्र/दिशानिर्देशों/निर्देशों को जारी करते हुए निर्धारित किया जाएगा। यह सुरक्षा राशि वास्तविक या नई अवधि अनुदत्त होने के उपरांत छह महीने की अवधि तक वैध रहेगी। ऐसी सुरक्षा राशि या गारंटी किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी होनी चाहिए तथा जहां कोई बैंक सेवानिवृत्ति सलाहकार की सेवाओं को देता है, ऐसी स्थिति में सुरक्षा राशि किसी अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्गमित की जाएगी। सुरक्षा राशि के प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समयसीमा में न प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द होना दायी होगा, यदि समय बढ़ाया नहीं गया हो तो।

(ख) उप–विनियम (ii) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगाः

सेवानिवृत्ति सलाहकार जो व्यक्ति या स्वामित्व प्रतिष्ठान का मालिक है, पंजीकरण के समय, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत अपनी गतिविधियों को आरंभ करने से पूर्व, सुरक्षा राशि बैंक सावधि जमाराशि रसीद या निष्पादन गारंटी के रूप में प्राधिकरण को जमा कराएगा, जो कि प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त अधिसूचनाओं/परिपत्र/दिशानिर्देशों/निर्देशों को जारी करते

हुए, निर्धारित किया जायेगा। बैंक सावधि जमाराशि रसीद या निष्पादन गारंटी जो कि जमा की जाएगी, वास्तविक या नई अवधि अनुदत्त होने के उपरांत छह महीने की अवधि तक वैध होगी। सुरक्षा राशि, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समयसीमा में प्राप्त न होने पर पंजीकरण रद्द होना दायी होगा, यदि समय बढ़ाया नहीं गया हो तो।

(II) विनियम 15 के, उप–विनियम (1) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगाः

(क) सेवानिवृत्ति सलाहकार द्वारा लिया जाने वाला शुल्कः सेवानिवृत्ति सलाहकार, सेवानिवृत्ति सलाह तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होने के लिए सुविधा प्रदान करेगा एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिदाताओं को अनुवर्ती सेवाएं अभिप्राप्त करने में सहायता करेगा। सेवानिवृत्ति सलाह, योजना में शामिल होने तथा अनुवत्ती सेवाओं या लेनदेन के लिए, सेवानिवृत्ति सलाहकार, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए अधिकतम शुल्क के अध्यधीन शुल्क अभिदाता से प्राप्त कर सकेगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत संभावी अभिदाता के योजना में शामिल होने पर देय शुल्क की अधिकतम सीमा, प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त अधिसूचना/परिपत्र/दिशानिर्देश/निर्देश जारी करते हुए इस संदर्भ में विनिर्दिष्ट की जाएगी। ऐसे अभिदाताओं द्वारा योजना में शामिल होने का भुगतान, पंजीकरण प्रक्रिया के पूर्ण होने/अभिदाता के योजना में शामिल होने तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते के सृजन के पश्चात् ही करना होगा।

अन्य किसी भी प्रकार कि अनुवर्ती सेवाओं के लिए, सेवानिवृत्ति सलाहकार अभिदाता से शुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा, जो कि उस संदर्भ में, प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों को जारी करते हुए निर्धारित किया जाएगा।

(III) (i) प्रथम अनुसूची के **प्रपत्र क** में, शीर्षक **''निर्देशों''** के अंतर्गत बिंदु संख्या 8 के ठीक नीचे बिंदु संख्या 9 को जोड़ा जाएगाः

9. सेवानिवृत्ति सलाहकारों हेतु आवेदन पत्र को, सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ई–हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन भी जमा कराया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के बाद भी, प्राधिकरण किसी भी समय किसी भी दस्तावेज़ (जिसे जमा किया जा चुका है) की भौतिक प्रति की मांग कर सकता है तथा यदि, पूर्व में ऑनलाइन प्रदान की गई सूचना या जमा किए गए दस्तावेज़ बाद में जमा की गई भौतिक प्रति से भिन्न पाए जाते हैं तो प्राधिकरण द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पंजीकरण का निरस्तीकरण भी शामिल है।

(ii) प्रथम अनुसूची के, **प्रपत्र क**, II 2(ब) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगाः

किसी भी विषय में स्नातक के साथ वित्तीय उत्पादों या सेवानिवृत्ति उत्पादों या निधि या आस्तियों या पोर्टफोलियो प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों में सलाह देने हेतु कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो, उल्लेखनीय है कि अनुभव की आवश्यकता ऐसी स्थिति में नही होगी जब कोई ऐसी संस्था पंजीकरण प्राप्त करना चाहती हो, जिसके पास पहले से ही ऐसे कर्मचारी हों जो प्रमाणित सेवानिवृत्ति सलाहकार हों। (समर्थित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करायें)।

(IV) द्वितीय अनुसूची निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जाएगीः

पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 (विनियम 9)

शुल्क

1. प्रत्येक व्यक्तिगत आवेदक तथा व्यक्तिगत आवेदकों से भिन्न सभी आवेदक, पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त या नवीनीकरण किए जाने हेतु आवेदन, अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के साथ जमा करेंगे जो कि प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त अधिसूचना/परिपत्र/दिशानिर्देशों/निर्देशों को जारी करते हुए निर्धारित किया जायेगा।

2. ऐसे आवेदक जो कि व्यक्तिगत रूप से आवेदन करते हैं, प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र अनुदत्त या नवीनीकरण किए जाने के समय पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करेंगे, जो कि प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त अधिसूचना/परिपत्र/दिशानिर्देशों/निर्देशों को जारी करते हुए इस संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

3. ऐसे आवेदक जो कि कोई कंपनी/निगमित निकाय/पंजीकृत न्यास/संस्था है, प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र अनुदत्त या नवीनीकरण किए जाने के समय पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करेंगे, जो कि प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त अधिसूचनाओं/परिपत्र/दिशानिर्देशों/निर्देशों को जारी करते हुए इस संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

4. आवेदक को, प्राधिकरण से सूचना प्राप्ति की तिथि से 15 दिन की अवधि के भीतर शुल्क **''पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण'' के नाम नई दिल्ली** में **देय,** डिमांड ड्राफ्ट या कोई अन्य तरीकों से जो कि प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, देय होगा।

5. इस अनुसूची के तहत देय शुल्क सीमा को समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा, उपयुक्त परिपत्रों, दिशानिर्देशों, निर्देशों या अधिसूचनाओं को जारी करते हुए संशोधित किया जा सकता है। आवेदक को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर वह पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्राप्ति का या उसके नवीनीकरण का हकदार नहीं होगा, जैसा भी मामला हो।

हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन–III/4/असा./367/17(203)]

पाद टिप्पणीः

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016, 13 जून 2016 को अधिसूचना संख्या. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।
2. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017, 28 अप्रैल 2017 को, अधिसूचना संख्या. पीएफआरडीए /12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।
3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017, 26 मई 2017 को, अधिसूचना संख्या. पीएफआरडीए /12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।
4. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017, 11 सितंबर 2017 को, अधिसूचना संख्या. पीएफआरडीए /12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2017

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Fourth Amendment) Regulations, 2017

No. PFRDA/12/RGL/139/10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clause (w) of sub-section (2) thereof and clause (d) of sub-section 2 of Section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 namely:—

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Fourth Amendment) Regulations, 2017.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016:-

(I) In regulation 8, in sub-regulation (i) & (ii):

(i) sub-regulation (i) shall be substituted as follows :-

Retirement Advisers which are body corporate(s) or partnership firm(s) or any registered trust or society, on registration, shall submit security deposit in the form of bank deposit or performance guarantee to the Authority, as may be determined by the Authority through issuance of appropriate notification/circular /guidelines /directions, before commencement of its activities under National Pension System. The deposit to be submitted shall be valid for a period of six months beyond the original or renewed period of registration so granted. Such security deposit or guarantee ought to be issued by a Scheduled commercial bank and where any bank is offering services of a retirement adviser, then security deposit shall be issued by another scheduled commercial bank. The registration granted is liable to be cancelled, if such deposit is not received within the time stipulated by the Authority, unless extended.

(ii) sub-regulation (ii) shall be substituted as follows :

Retirement Advisers who are individuals or carrying on proprietary concerns, upon registration, shall provide security deposit in the form of bank fixed deposit receipt or performance guarantee to the Authority, as may be determined by the Authority through issuance of appropriate notifications/circular /guidelines /directions before commencement of its activities under National Pension System. The bank fixed deposit receipt or Performance Guarantee to be so submitted shall be valid for a period of six months beyond the original or renewed period of registration so granted. The registration granted is liable to be cancelled, if such deposit is not received within the time stipulated by the Authority, unless extended.

(II) In regulation 15, sub-regulation (1) shall be substituted as follows:-

(1) Fee to be charged by the Retirement Adviser- A Retirement adviser shall provide retirement advice and shall facilitate on-boarding to National Pension System and assist the subscriber in getting the subsequent services under National Pension System. The fees for retirement advice, on-boarding and subsequent services or transaction, may be charged by the Retirement Adviser from the subscriber, subject to the maximum of charges that may be determined by the Authority in this behalf.

The upper ceiling of fee payable for on-boarding of a prospect under National Pension System shall be as determined by the Authority through issuance of appropriate notification/circular/ guidelines/directions, in that behalf. Payment of on-boarding fee by such subscriber will be applicable only upon completion of the registration process/on-boarding of the subscriber and generation of his or her individual pension account under National Pension System.

For any subsequent services, the Retirement Adviser shall be entitled to collect charges from the subscriber, as may be determined in that behalf, by issuance of appropriate notifications, guidelines, circulars or directions by the Authority.

(III) (i) In First Schedule Form A, under the head "INSTRUCTIONS" Point No. 9, shall be added, immediately after Point No. 8:-

9. The application form for Retirement Advisers with all required documents can also be submitted on line with e Signature. Provided that the Authority may seek submission of physical copy of any document (already submitted), at any time, including after issuance of registration certificate and if it is found thereupon, that the information or document so submitted online, is at variance with the physical copy since submitted, suitable action may be taken by the Authority, which may also entail cancellation of registration.

(ii) In First Schedule, Form A, II 2(B) shall be substituted as follows :-

A graduate in any discipline with not less than five years experience in activities relating to advice in financial products or retirement products or fund or asset or portfolio management provided that requirement of experience shall not be applicable in case of an entity seeking registration having employee(s) who are certified Retirement Advisers. (provide self certified copies of supporting documents).

(IV) Second Schedule shall be substituted as follows :-

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 [Regulation 9]

FEES

1. Every individual applicant and every applicant other than individuals shall pay non-refundable application fees as may be determined by the Authority through issuance of appropriate notification/circular /guidelines /directions, along with the application for grant or renewal of certificate of registration.

2. Applicants which are individuals shall pay registration/ renewal fee at the time of grant of or renewal of certificate by the Authority, as may be determined by the Authority, through issuance of appropriate notification/circular /guidelines /directions in that behalf.

3. Applicants which are firms/body corporate/ registered trust /society shall pay registration/ renewal fee at the time of grant of or renewal of certificate by the Authority, as may be determined by the Authority through issuance of appropriate notifications/circular /guidelines /directions in that behalf.

4. The fee shall be paid by the applicant within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Authority by a demand draft in favour of 'PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY' payable at New Delhi or in such other manners of payment as may be specified by the Authority, from time to time.

5. The quantum of fee payable under this schedule may be revised by the Authority from time to time, by issuance of appropriate circulars, guidelines, directions or notifications. The Applicant shall be required to pay the applicable fee as determined by the Authority failing which it shall not be entitled to grant of registration or renewal thereof, as the case may be.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./367/17(203)]

Footnote:

1. The Principal regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 was published in the Gazette of India on 13th June, 2016 *vide* No. PFRDA/12/ RGL/139/1.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (First Amendment) Regulations, 2017 was published in the Gazette of India on 28th April 2017 *vide* No. PFRDA/ 12/RGL/139/10.
3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Second Amendment) Regulations, 2017 was published in the Gazette of India on 26th May 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/10.
4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Third Amendment) Regulations, 2017 was published in the Gazette of India on 11th September 2017 *vide* No. PFRDA/ 12/RGL/139/10.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.01.02 11:06:08 +05'30'